न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.अ.प्र.क्र.–20250626030006/अ–62/2024–25

साकिन परसापारा, तहसील लटोरी

भुनेश्वर, पिता गोपाल,
निवासी ग्राम परसापारा, तहसील लटोरी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

.....आवेदक

प्रति,

छ.ग. शासन

.....अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांकः–27/6/2025)

यह प्रकरण आवेदक भुनेश्वर, पिता गोपाल, निवासी ग्राम परसापारा, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम परसापारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः– 1.3100, 0.4000, 0.3200 हे0 भूमि पर स्थित 14 नग सेमल के वृक्ष को काटने की अनुमति बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व एवं वन विभाग से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक, पिलखा तहसील लटोरी एवं वन उप परिक्षेत्र अधिकारी जयनगर के द्वारा अपने संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक–08.04.2025 में उल्लेख किया गया है कि, ग्राम परसापारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः– 1.3100, 0.4000, 0.3200 हे0 भूमि पर स्थित 14 नग सेमल वृक्ष कटाई हेतु अनापत्ति प्रमाण देने के संबंध में मौका जांच किया गया। **मौका जांच में पाया गया कि ग्राम परसापारा प.ह.नं. 023 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः– 1.3100, 0.4000, 0.3200 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में भुनेश्वर आ. गोपाल के नाम पर दर्ज है। उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा आवेदक की भूमि पर 14 नग सेमल 30 वर्ष पूर्व स्वउपर्जित है।** आवेदक की भूमि पर 14 नग सेमल वृक्ष ग्रामवासियों की उपस्थिति में **मार्किंग किया गया जिसकी गोलाई व अनुमानित ऊंचाई निम्नानुसार हैः–**
कुल 14 नग सेमल वृक्ष की गोलाई (इंच में) क्रमशः 95, 80, 74, 75, 65, 55, 98, 87, 79, 52, 49, 62, 64, 72 एवं अनुमानित ऊंचाई(मीटर में) क्रमशः 20, 18, 22, 19, 17, 16, 22, 15, 17, 25, 15, 16, 14, 17 है।

3. आवेदक के द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक– .06.2025 में बताया गया कि, अपने स्वामित्व की ग्राम परसापारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः–1.3100, 0.4000, 0.3200 हे0 भूमि पर पुराने समय से स्थित स्वउपर्जित 14 नग सेमल के वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए सभी शर्ते मुझे मान्य है।

4. राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग उप परिक्षेत्र अधिकारी जयनगर के द्वारा **प्ररूप–घ में संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया है,** जिसमें निरीक्षण के दौरान आवेदक भुनेश्वर, ग्राम पंचायत सरपंच/पंच, युवराज सिरदार, स्वतंत्र स्थानीय साक्षी प्रभु, मदन राम, सोहर, अम्बी, सोनू उपस्थित रहे। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि, आवेदित भूमि ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः–1.3100, 0.4000 0.3200 हे0 भूमि में **खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे एवं परिपक्व वृक्षों की प्रजाति की संख्या मौके पर सेमल 14 नग के वृक्ष पाये गये। पंचनामा रिपोर्ट में मौका जांच आवेदक एवं अन्य ग्रामवासियों (पंचनामा में अधोहस्ताक्षरित) द्वारा बताया गया कि उक्त वृक्ष स्वउपर्जित** है। ग्रमवासियों की उपस्थिति में

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

आवेदक की भूमि पर स्थित 14 नग सेमल वृक्षों की गणना कर मार्किंग किया गया। का उल्लेख किया गया।

छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक–11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाईः–(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

अतएव आवेदक भुनेश्वर, पिता गोपाल, निवासी ग्राम गणेशपुर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम परसापारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 340, 349, 353/1 रकबा क्रमशः–1.3100, 0.4000, 0.3200 हे0 भूमि पर पुराने समय से स्थित **प्राकृतिक रूप से उगे 14 नग सेमल के वृक्षों में से प्रावधानों अंतर्गत कुल–10 नग सेमल वृक्षों को काटे जाने** की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 में दिये गये प्रावधानों के एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान की जाती है।

4.2 शर्तेः–

(एक) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगण वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में प्राकृतिक रूप उगे वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्तक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

(3) शर्त की कण्डिका–2 के विपरीत दशा में आवेदक संस्था द्वारा काटे गये लकड़ी के मूल्य की राशि की शासन के खजाने में जमा किया जावें।

आज दिनांक–27/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /2472/वाचक–1/2025 **सूरजपुर, दिनांक 27/06/2025**

प्रतिलिपि,

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर , जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार लटोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आवेदक आवेदक भुनेश्वर, पिता गोपाल, निवासी ग्राम परसापारा, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)